न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मालसिंह बनाम भूमिधारी

धारा ... 115/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
03.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी मालसिंह शेखावत पुत्र स्व0 बद्रीसिंह शेखावत एवं साक्ष्य वादी गवाह मे शिवदयालसिंह पुत्र बदरीसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में पेश किए। जो शामिल पत्रावली किए गए। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर	
05.01.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व साक्ष्य वादी पेश हो जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 16.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
16.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर ... में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में ... निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
115 / 2023	2023 / 1067	10.08.2023	16.01.2024

उनवान प्रकरण

1. मालसिंह शेखावत पुत्र स्व. बद्रीसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) हाल निवासी डी–6 उमा पथ, रामनगर, सोडाला जयपुर राजस्थान।

-- वादी--

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

--प्रतिवादी–

उपस्थित :–

श्री अनिल यादव, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पेरोकार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

दावा बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 4263 रक्बा 0.3000 हैक्टर तन ग्राम नाथूसर पटवार हल्का नाथूसर भू–अभिलेख निरीक्षक मउ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसमें 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम हरिसिंह पुत्र बदरीसिंह दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम मालसिंह शेखावत पुत्र बद्रीसिंह शेखावत है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 3914, 4055 कुल किता–2 कुल रक्बा 1.3800 हैक्टर तन ग्राम नाथूसर पटवार हल्का नाथूसर भू–अभिलेख निरीक्षक मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसमें 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम हरिसिंह पुत्र बदरीसिंह दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम मालसिंह शेखावत पुत्र बदरीसिंह शेखावत है। वादी का वास्तविक नाम मालसिंह शेखावत पुत्र बद्रीसिंह शेखावत ही है एवं वादी के समस्त सरकारी दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में भी मालसिंह शेखावत पुत्र बद्रीसिंह शेखावत ही दर्ज है परन्तु वादी को घर पर बोलते नाम हरिसिंह पुकारने के कारण कृषि भूमि वर्णित मद संख्या–1 व 2 वाद पत्र की खातेदारी में वादी का नाम हरिसिंह पुत्र बदरीसिंह दर्ज हो गया इसलिए वादी का नाम कृषि भूमि वर्णित मद संख्या–1 व 2 वाद पत्र में हरिसिंह पुत्र बदरीसिंह के सीन पर मालसिंह शेखावत पुत्र बद्रीसिंह शेखावत घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवष्यक है। वादी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से उपरोक्तानुसार सही नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो अदालत में दावा प्रस्तुत करके आदेष लाने हेतु कहा इसलिए माननीय न्यायालय में बिना ... दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवष्यक हुआ है। वाद पत्र ... है कि वादी का वाद पत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया है कि तन ग्राम नाथूसर पटवार हल्का नाथूसर भू–अभिलेख निरीक्षक मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

16/01/24 दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4263 रकबा 0.3000 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 3914, 4055 कुल किता–2 कुल रकबा 1.3800 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम **हरिसिंह पुत्र बदरीसिंह** के स्थान पर **मालसिंह शेखावत पुत्र बदरीसिंह शेखावत** घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। यह वाद वास्ते उद्घोषणा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थित की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवायी गई। जिसके परिपेक्ष्य में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक कमांक/भू0अ0/23/2285 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार प्राप्त हुईः– राजस्व ग्राम नाथूसर प0ह0– नाथूसर के भूमि ख0न0 4263 रकबा 0.30 हैक्टर में वादी का नाम हरिसिंह पुत्र बदरी सिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत तथा भूमि खसरा नम्बर 3914, 4055 कुल किता–2 कुल रकबा 1.38 हैक्टर में वादी का नाम हरिसिंह पुत्र बदरी सिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेनकार्ड आदि मं मालसिंह पुत्र बद्रीसिंह अंकित हैं। उक्त प्रकरण में मज में आम में पूछताछ करने पर उपस्थित लोगों द्वारा हरिसिंह पुत्र बद्रीसिंह, मालसिंह पुत्र बद्रीसिंह दानों एक ही व्यक्ति के नाम बताये गये है। वक[illegible] ने साक्ष्य वादी मालसिंह शेखावत पुत्र स्व0 बद्रीसिंह व वादी [illegible]लसिंह पुत्र बदरीसिंह के साक्ष्य में शपथ पेत्र पेश किए। साक्ष्य वादी में वादी व गवाह का शपथ पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

16/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

कर दिए जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहरा सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 4263 रक्बा 0.3000 हैक्टर एवं कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 3914, 4055 कुल किता–2 कुल रक्बा 1.3800 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम **हरिसिंह पुत्र बदरीसिंह** का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम होना जबकि इनका सही नाम **मालसिंह शेखावत पुत्र बदरीसिंह शेखावत** होना प्रकट होता हैं। जिसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रतित होता है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र मे वादी द्वारा साक्ष्य पेश कर दिए जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णयात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम

16/01/24 दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

नाथूसर पटवार हल्का नाथूसर भू–अभिलेख निरीक्षक मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4263 रकबा 0.3000 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 3914, 4055 कुल किता–2 कुल रकबा 1.3800 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम हरिसिंह पुत्र बदरीसिंह के स्थान पर **मालसिंह शेखावत पुत्र बदरीसिंह शेखावत** घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जानें की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested